प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 6436/2021

आदेश सुरक्षित किया गया :18.09.2025

आदेश पारित किया गया :19.11.2025

1 – अमृत लाल साहू पिता कन्हैयालाल साहू उम्र लगभग 37 वर्ष व्याख्याता (टी) के रूप में पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल बागचाबा, ब्लॉक घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2 – रवि कुमार श्रीवाश पिता श्री राधा कृष्ण श्रीवाश उम्र लगभग 31 वर्ष उच्च श्रेणी शिक्षक (ई.) के रूप पदस्थ, नटवर मिडिल स्कूल रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

3 – मनोज कुमार मनहर पिता छोटू लाल मनहर, उम्र लगभग 36 वर्ष, व्याख्याता के पद पर पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल कुम्हली, ब्लॉक मोहला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।

4 – जितेश कुमार पिता दीनदयाल 35 वर्ष,व्याख्याता के रूप मे पदस्थ, हाई स्कूल हेमलकोहदो, बोल्क अम्बा चौकी, जिला राजनंदगाँव छत्तीसगढ़।

5 – चमनलता सिंगरेमे पिता श्री बीरबल सिंगरेमे लगभग 29 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलझार, ब्लॉक डोंडिलोहरा, जिला बालोद छत्तीसगढ़।

6 – स्वाति टिर्की पिता श्री नेस्टोर टिर्की लगभग 32 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हाई स्कूल सुधेला, ब्लॉक बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटपारा छत्तीसगढ़।

7 – जितेंद्र कुमार पिता कामता राम साहू 34 वर्ष , व्याख्याता के रूप में पदस्थ, उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलौदी, ब्लॉक मगरलोड, जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

8 – प्रतिपाल गढ़वाल पिता श्री सुंदर गढ़वाल 45 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हाई स्कूल दादरखुर्द, ब्लॉक कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़।

9 – श्रीमती. झरण चंद्रकर पिता श्री अविनाश चंद्रकर लगभग 33 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भर, प्रखंड पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

10 – सोहन लाल कुर्रे पिता ओली राम कुर्रे लगभग 39 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हायर पिताकेंडरी स्कूल फगुरम, ब्लॉक मलखारौद, जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़।

11 – श्रीमती. ज्योति चाणक्य पिता श्री विश्व कुमार चाणक्य, लगभग 37 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ, महारानी लक्ष्मी बाई, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जशपुर, जिला जशपुर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12 – चंद्रशेखर चंद्राकर, पिता श्री धनुराम चंद्राकर लगभग 41 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल रायतम, ब्लॉक महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।

13 – हिमेश्वरी साहू पति वल्लभ कुमार साहू उम्र लगभग 33 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरी, ब्लॉक नगरी, जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

14 – राजेश सिंह भोई, पिता स्वर्गीय श्री भुवनेश्वर सिंह भोई 32 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हाई स्कूल खरड़ी, ब्लॉक मलखारौदा, जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़।

15 – किशन सिंह सिदार पिता माखन सिंह सिदार, लगभग 32 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, ,हायर सेकेंडरी स्कूल खापरिकला, ब्लॉक लोरमी, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़।

16 – मोहन बल्लभ दहारिया पिता श्री दिलहरण लाल दहारिया ,38 वर्ष ,व्याख्याता के रूप में पदस्थ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छल्ल, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

17 – चन्द्रशेखर सिंह पिता धरम लाल उम्र लगभग 41 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल कटेकोनीखुर्द, ब्लॉक डभरा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18 – रघुनंदन सिंह पैकरा पिता चैन सिंह पैकरा उम्र लगभग 40 वर्ष व्याख्याता के रूप मे पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े रबेली, ब्लॉक मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़।

19 – अशोक ठाकुर पिता हृदय नारायण ठाकुर, उम्र लगभग 40 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल रेडा, ब्लॉक डभरा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़।

20 – राजकमल भारती, पिता भगवत प्रसाद भारती, आयु लगभग 34 वर्ष, व्याख्याता के पद पदस्थ, उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्री, ब्लॉक पोडिउप्रोदा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

21 – श्रीमती प्रज्ञा शर्मा, पति श्री दिलीप कुमार, आयु लगभग 38 वर्ष, व्याख्याता के पद पर पदस्थ सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय कुडेकेला, ब्लॉक धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

22 – टिकेश कुमार नेताम, पिता श्री चमार सिंह नेताम, आयु लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के पद पर पदस्थ सरकारी उच्च विद्यालय, मकद्दी खुना ब्लॉक, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़

23 – छविकिरण साव पति विवेक कुमार साओ, उम्र लगभग 42 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल बधियाटोला, ब्लॉक डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।

24 – श्रीमती आशा किरण मिंज पति श्री निरंजन तिर्की उम्र लगभग 33 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

25–राधेश्याम साव पिता श्री जगदीश प्रसाद साव, उम्र लगभग 45 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ,हायर सेकेंडरी स्कूल विजय नगर, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

26 – राजू कुमार चंद्रकर पिता रामसराम चंद्रकर 47 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगसर, ब्लॉक बागबाहरा, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।

27 – कू किशोरी वैष्णव पिता श्री बलदौ दास वैष्णव लगभग 41 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ,कार्यालय में तैनात थे। उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंद्रानवागढ़ ब्लॉक गरियाबंद, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

28 – मनोज कुमार पिता श्री दीनदयाल उम्र लगभग 31 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल खड़गांव, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

29 – गौतम कुमार शोरी पिता सुबेलाल शोरी, उम्र लगभग 35 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल संगम, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर छत्तीसगढ़।

30 – वेद प्रकाश सोनी पिता श्री कैलाश कुमार सोनी उम्र लगभग 31 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत उच्च विद्यालय देवपुर, प्रा.वि. 02, ब्लॉक कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31 – मिथलेश साहू पिता उदय राम साहू उम्र लगभग 32 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत ,हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसबोड़, ब्लॉक डौंडी, जिला बालोद छत्तीसगढ़।

32–श्रीमती. खिलेश्वरी विश्वकर्मा पति श्री भुजबल कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल बैजनपुरी, ब्लॉक भानुप्रतापपुर, जिला दक्षिण बासकर कांकेर छत्तीसगढ़।

33 – दीपक कुमार पिता देवेन्द्र कुमार ठाकुर उम्र लगभग 31 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत, हायर सेकेंडरी स्कूल खोभा, ब्लॉक छुरिया, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।

34 – ललित कुमार देवांगन पिता श्री भगवती प्रसाद देवांगन उम्र लगभग 38 वर्ष व्याख्याता के पद पर कार्यरत, शासकीय कार्यालय में पदस्थ हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल गिधाली, ब्लॉक बसना, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।

35 – राकेश कुमार कांत, पिता लखन लाल कांत, उम्र लगभग 38 वर्ष, शिक्षक के रुप मे कार्यरत, सरकारी मध्य विद्यालय, आश्रम स्कूल बेसिन, बहरा, ब्लॉक सारंगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

36 – बिपिन कुमार सेठ, पिता श्री जयलाल सेठ, उम्र लगभग 31 वर्ष, शिक्षक के रुप मे कार्यरत, सरकारी मध्य विद्यालय, तनौद, ब्लॉक पामगढ़, जिला जांजगीर चंपा, छत्तीसगढ़

37 – महेश कुमार पिसदा, पिता श्री अली राम पिसदा, उम्र लगभग 35 वर्ष, शिक्षक के रुप मे कार्यरत, , सरकारी मध्य विद्यालय, सिंहभेड़ी, ब्लॉक अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

38 – दिनेश कुमार राठिया पिता राम प्रसाद राठिया, उम्र लगभग 31 वर्ष शिक्षक के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल केवली, ब्लॉक खरसिया, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

39 – कौशल राम राठिया पिता स्वर्गीय बुधराम राठिया उम्र लगभग 30 वर्ष शिक्षक के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल जुनवानीपारा, सिसरिंगा ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

40–घनश्याम कुमार डड़सेना, पिता श्री चंद्रभूषण, उम्र लगभग 35 वर्ष, शिक्षक के रूप में पदस्थ और मिडिल स्कूल गोविंदा, ब्लॉक बम्हनीडीह, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़।

41 – नरेश कुमार प्रधान, पिता श्री निशमार प्रधान, आयु लगभग 36 वर्ष, उच्च श्रेणी के शिक्षक के रूप में पदस्थ, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय भारदोली, ब्लॉक बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

42 – यशवंत गुप्ता, पिता श्री बिहारी लाल गुप्ता, आयु लगभग 30 वर्ष, उच्च श्रेणी के शिक्षक के रूप में पदस्थ, सरकारी मध्य विद्यालय देवलसुरा, ब्लॉक पुस्सोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

43 – राजेंद्र कुमार साहू, पिता मोहन लाल साहू, आयु लगभग 31 वर्ष, शिक्षक के रूप में कार्यरत, सरकारी मध्य विद्यालय ठाकुरदिया, ब्लॉक खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

44 – रूपधर प्रधान पिता संन्यासी प्रधान 29 वर्ष , शिक्षक मिडिल स्कूल कराजोर, ब्लॉक पुसोर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, शिक्षा विभाग, महानदी बहवान, मंत्रालय नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – सचिव, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3 – छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण निदेशक, इंद्रावती भवन, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सेवा सं 957/2022</u>

1 – प्रतिपाल गढ़ेवाल पिता श्री सुंदर लाल गढ़ेवाल, उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी मकान नंबर 23, सिटीइंदरपुर, पोस्ट ओडगी, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

2– सोहन लाल कुर्रे पिता स्व.पद्मा बाई कुर्रे, उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी मकान नंबर 76, शहर फगूरम, पोस्ट फगुरम, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

3 – विवेक कुमार, पिता श्री युगल किशोर, उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी मकान नंबर 160/एफ, शहर बालोद, पोस्ट बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़

4 – अमृत लाल साहू, पिता श्री कन्हैया लाल साहू, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मकान नंबर 89, शहर सरवानी खरसिया, स्ट्रीट–हाई स्कूल मोहल्ला, अक्षराभाटा, पोस्ट सरवानी, रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य अपने प्रमुख सचिव के द्वारा , वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2 – छत्तीसगढ़ राज्य, अपने प्रमुख सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–सी, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

4 – संयुक्त निदेशक, लोक शिक्षण निदेशालय, स्कूल शिक्षा विभाग इंद्रावती भवन, ब्लॉक–सी, पहली मंजिल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

5 – संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर मंडल जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

6 – संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, सरगुजा मंडल जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

7 – संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, दुर्ग मंडल जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

8 – जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

9–जिला शिक्षा अधिकारी, शक्ति जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़

10–जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद (छत्तीसगढ़)

11–जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

12–जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सेवा सं 1175/2022

1 – मुकेश कुमार वैष्णव पिता श्री सत्यनारायण वैष्णव 34 वर्ष व्याख्याता के रूप में पदस्थ हाई स्कूल सोनाजोरी, ब्लॉक लैलुंगा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

2 – अनिरुद्ध कुमार साहू, पिता श्री सालिक राम साहू, उम्र लगभग 33 वर्ष, ख्याता के पद पर कार्यरत,सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय बकमा, ब्लॉक बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

3 – दानेश्वर कुमार साहू, पिता श्री कृष्ण कुमार साहू, उम्र लगभग 40 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत,सरकारी उच्च विद्यालय भैंसबोद, ब्लॉक कुरुद, जिला धमतारी, छत्तीसगढ़

4 – पल्लवी दीक्षित, पत्नी राकेश कुमार मिश्रा, उम्र लगभग 36 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत सरकारी उच्च विद्यालय लारिमा, ब्लॉक कुस्मी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

5 – प्रतिमा कमलसेन, पिता एस.के. कमलसेन, उम्र लगभग 32 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च विद्यालय लोहारी, ब्लॉक मारवाही, जिला गौरेला पेंड्रा, मारवाही, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6 – पारस नाथ, पिता मुकुंद लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय उदारी, ब्लॉक लुंद्रा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

7 – बबीता देवांगन, पिता भुवनेश्वर देवांगन, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च विद्यालय किलकिला, ब्लॉक लैलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

8 – अनिल कुमार बंजारे, पिता रेशम लाल बंजारे, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मलहार, ब्लॉक मस्तुरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

9 – आशीष कुमार, पिता तख्त राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय रेंगाकाथेरा, ब्लॉक मोहला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

10 – सुमन पटेल, पिता लक्ष्मी पटेल, उम्र लगभग 28 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय पुस्सोर, ब्लॉक पुस्सोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

11 – दामेंद्र कुमार, पिता बीरबल, उम्र लगभग 26 वर्ष, सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत, सरकारी प्राथमिक विद्यालय अंढियाटोला, ब्लॉक बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

12 – श्री चंदन सिंह पिता दुर्पति, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुस्सोर, ब्लॉक पुस्सोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

13 – राधेलाल पिता मनोरमा, उम्र लगभग 28 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंहरा, ब्लॉक मलखारौदा, जिला शक्ति, जिला जांजगीर चंपा, छत्तीसगढ़

14 – नरेंद्र कुमार चंद्रकार पिता एकता चंद्रकार, उम्र लगभग 28 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, घाटगांव, ब्लॉक लैलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

15 – दौलल साहू पति टिकेश्वरी साहू, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, उम्र लगभग 30 वर्ष, सरकारी उच्च विद्यालय, पोतरा, ब्लॉक लैलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

16 – रुचि श्रीवास पति ईश्वर चंद्र श्रीवास, उम्र लगभग 34 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत ,हाई स्कूल करवारजोर, ब्लॉक लैलूंगा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

17 – दुष्यन्त कुमार साहू पिता श्री जीवन लाल साहू उम्र लगभग 31 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल सोरिद, ब्लॉक छुरा, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

18 – बालमुकुंद पिता गैंद राम उम्र लगभग 35 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत हाई स्कूल भर्रीटोला, ब्लॉक अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

19 – पूर्णिमा यादव पति शांति लाल यादव उम्र लगभग 31 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल जमरगी डी, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

20 – रीना साहू पति गौरांग साहू उम्र लगभग 37 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सोकॉन्डरी स्कूल जमरगी डी, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21 – सुनील कुमार साहू पिता छेदीलाल साहू उम्र लगभग 30 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल मोरगा ब्लॉक पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़।

22 – सुनिधि पति भुवनेश्वर प्रताप सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत और सरकारी कार्यालय में तैनात हायर सेकेंडरी स्कूल घाटगांव, ब्लॉक लैलूंगा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

23 – मनीष चंद्राकर पिता पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर उम्र लगभग 27 वर्ष सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) के पद पर कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल बिरगांव, ब्लॉक धरसीवा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

24 – हितेश कुमार पिता अनिरुद्ध केशरवानी, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल पंडरिया, ब्लॉक कवर्धा, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़।

25 – प्रकाश कुमार ध्रुव, पिता नारायण प्रसाद ध्रुव, उम्र लगभग 31 वर्ष, शिक्षक के रूप में कार्यरत, सरकारी मध्य विद्यालय बामहु, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

26 – कोमल सिंह गर्ग, पिता मोहन लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय कौडिकासा, ब्लॉक अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

27 – दिगेश चंद, पिता चिंता सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय झालमाला, ब्लॉक बोडला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़

28 – चंद्रकिरण, पिता संतराम, उम्र लगभग 39 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय फरकानारा, ब्लॉक लैलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

29 – सरिता सरोज दयाल, पत्नी दिग्विजय दयाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल फरकानारा, ब्लॉक खरसिया, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

30 – रजनीगंधा पिता बुधनाथ सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत हायर सेकेंडरी स्कूल बंगुरसिया, ब्लॉक रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

31 – पूनम चंद जैन पिता सुभाष चंद जैन उम्र लगभग 36 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत, हायर सेकेंडरी स्कूल भूकेल, ब्लॉक बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

32 – सूफिया खातून पिता मोहम्मद अली जौहर उम्र लगभग 33 वर्ष व्याख्याता के रूप में कार्यरत ,हाई स्कूल लोहड़ापानी, ब्लॉक सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33 – प्रभात कुमार साहू पिता कृष्णा साहू उम्र लगभग 26 वर्ष शिक्षक के रूप में कार्यरत ,मिडिल स्कूल सरायपाली ब्लॉक सारंगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

34 – जयश्री तेकाम पिता श्याम लाल सिदार, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्याख्याता के रूप में कार्यरत हाई स्कूल पोटरा, ब्लॉक लैलूंगा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

35 – ओम प्रकाश, पिता जीवन लाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, व्याख्याता के रूप मे कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरछेड़ी, ब्लॉक गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ ।

36 – प्रदीप सिंह, पिता दर्शन सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, व्याख्याता के रूप मे कार्यरत, सरकारी उच्च विद्यालय सोनाजोरी, ब्लॉक लैलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

37 – हेमकांति गुप्ता, पिता सागर चंद गुप्ता, उम्र लगभग 39 वर्ष,व्याख्याता के रूप मे कार्यरत, वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर सेजेस पुस्सोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

38 – अजीत विशाल, पिता सत्यनंद विशाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, शिक्षक के रूप मे कार्यरत, सरकारी मध्य विद्यालय कनकबीरा, ब्लॉक सारंगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

39 – नरसिंह निषाद, पिता भगवती निषाद, उम्र लगभग 33 वर्ष, व्याख्याता के रूप मे कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय कचना, ब्लॉक कुरुद, जिला धमतारी, छत्तीसगढ़

40 – उपेंद्र पटेल, पिता हेतराम पटेल, उम्र लगभग 34 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय कचाना, ब्लॉक तामनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

41 – सोनू सिंह, पिता दिनेश प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय समारी, ब्लॉक कुस्मी, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़

42 – संध्या दत्ता, पिता श्री एस.के. दत्ता, आयु लगभग 42 वर्ष,व्याख्याता के पद पर कार्यरत सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमरिया, ब्लॉक धामधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

43 – डेविड गोलू कुजूर, पिता श्री डोमनिक कुजूर, आयु लगभग 33 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरतसरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय बकमा, ब्लॉक बागबहारा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

44 – किशोर कुमार तिवारी, पिता श्री हरि प्रसाद तिवारी, आयु लगभग 39 वर्ष, व्याख्याता के पद पर कार्यरत सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय बकमा, ब्लॉक पिथोरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

45 – भीमेंद्र साहू पिता श्री यशवंत साहू 30 वर्ष व्याख्याता के पद पर कार्यरत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैन्सबोद, ब्लॉक कुरुद, जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2– सचिव वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3–संचालक संचालनालय छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण, इंद्रावती भवन, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 1682/2022

1 – विकास कुमार साहू, पिता श्री रतन लाल साहू, आयु लगभग 31 वर्ष, शिक्षक (ई) कैडर में कार्यरत, सरकारी मध्य विद्यालय, जरहाभाथा, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2 – शत्रुहन कुमार, पिता चेतन राम कश्यप, आयु लगभग 34 वर्ष, शिक्षक (ई) कैडर में कार्यरत, सरकारी मध्य विद्यालय, जरहाभाथा, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3 – खेलन सिंह ठाकुर, पिता श्री विक्रम सिंह, 31 वर्ष शिक्षक (ई) संवर्ग के रूप में कार्यरत मिडिल स्कूल बराही, ब्लॉक तख्तपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

4 – नीलेश कुमार पटले, पिता श्री रामनारायण पटले, उम्र लगभग 33 वर्ष शिक्षक (ई) संवर्ग के रूप में कार्यरत मिडिल स्कूल आरसमेटा, ब्लॉक अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

5 – आकाश शर्मा, पिता श्री गोविंद प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष शिक्षक (ई) संवर्ग के रूप में कार्यरत मिडिल स्कूल बिजौर, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

2 – सचिव, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

3–निदेशक, छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण निदेशालय, इंद्रावती भवन रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सेवा सं 1878/2022</u>

मनोज कुमार पटेल,पिता लेखक राम पटेल , उम्र लगभग 36 वर्ष, शिक्षक (ई कैडर), विषय अंग्रेजी, सरकारी मिडिल स्कूल हिर्री, ब्लॉक धामधा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य –सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मसानदी भवन, नई रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2 – छत्तीसगढ़ पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के राज्य सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, नई रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

3 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नई रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

4 – संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय के सामने ,जी. ई. रोड दुर्ग (छत्तीसगढ़)

5 – जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

6 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद पंचायत धामधा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2471/2022

1 – उत्तम सिंह पटेल पितानर्मदा प्रसाद पटेल, लगभग 34 वर्ष , विषय अंग्रेजी के शिक्षक (ई–कैडर) रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, मंदारगोधी, ब्लॉक मलखारौड़ा, शिक्षा जिला शक्ति, जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़

2 – नरेंद्र कुमार साहू पिता गिरधारी लाल साहू, उम्र लगभग 35 वर्ष, सरकार में जीव विज्ञान विषय के शिक्षक (ई–कैडर) के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल बिलारी (के), ब्लॉक कसडोल, जिला बलौदा बाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)

3 – कमलेश कुमार धीरेहे पिता जोगी राम धीरेहे, उम्र लगभग 34 वर्ष शासकीय स्कूल में शिक्षक (ई–कैडर) के रूप पदस्थ, मिडिल स्कूल गोपालपुर, ब्लॉक मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

4 – राकेश कुमार राजवाड़े, पिता गोपाल प्रसाद राजवाड़े, उम्र लगभग 38 वर्ष, सरकारी स्कूल में अंग्रेजी विषय के शिक्षक (ई–कैडर) के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल बकसरा, ब्लॉक बलौदा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

5 – भगवत प्रसाद देवांगन पिता राम कुमार देवांगन, उम्र लगभग 33 वर्ष शासकीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल सोन, ब्लॉक मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

6 – रितेश कुमार साई पिता रामकुमार साई, 33 वर्ष , विषय अंग्रेजी के सहायक शिक्षक (ई–कैडर), के रूप में पदस्थ,स्कूल, मलिडीह, ब्लॉक कासडोल, जिला बलौदा बाजार भाटपारा (छत्तीसगढ़)

––– याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2 – सचिव, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

4 – निदेशक, लोक शिक्षण निदेशालय, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–3, पहली मंजिल, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5 – संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा प्रभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

6 – संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा प्रभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

7 – जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जिला शक्ति जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़

8 – जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार–भाटपारा, जिला बलौदा बाजार भाटपारा (छत्तीसगढ़)

9 – जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर, जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़

10 – जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 2656/2022

1–श्रीमती. झरना चंद्राकर पति श्री अविनाश चंद्राकर उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी एच.एन. ब्लॉक 13–ए, क्वार्टर नंबर 5, सिटी जी.ई. राड भिलाई पोस्ट भिलाई 3, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्याख्याता के रूप में पदस्थ, भरार, ब्लॉक पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

2 – विकास कुमार तिवारी पिता श्री विद्याशंकर तिवारी, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी एच.एन. 165/6, शहर डी.डी.यू नगर, वार्ड संख्या 69, रोहनीपुरम, पी.टी.आर.यू. जिला रायपुर छत्तीसगढ़, वर्तमान में व्याख्याता के पद पर पदस्थ, सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवपारा, राजिम, ब्लॉक अभनपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग के सचिव, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3 – लोक शिक्षण निदेशालय छत्तीसगढ़, पहली मंजिल, सी ब्लॉक इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ताओं हेतु (डब्ल्यूपीएस सं.6436/2021,1175/2022 और 1682/2022 में)	:	श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं हेतु (डब्ल्यूपीएस सं.957/2022 में)	:	सुश्री नौशिना आफरीन अली तथा श्री अजय कुमारानी, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता हेतु (डब्ल्यूपीएस सं.1878/2022 में)	:	श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं हेतु (डब्ल्यूपीएस सं.2471/2022 में)	:	श्री गोविंद प्रसाद देवांगन, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं हेतु (डब्ल्यूपीएस सं.2656/2022 में)	:	श्री प्रभाकर तिवारी, अधिवक्ता तथा श्री मनीष उपाध्याय, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादीगण हेतु	:	श्री अजय कुमार पांडे, शासकिय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. चूंकि सभी रिट याचिकाओं में विधि का एक ही प्रश्न शामिल है और वे समान तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाकर, एकरूप रूप से सुना गया है और इस एक ही आदेश द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।कार्यवाहियों की बहुलता से बचने और संबंधित विवाद्यक के निर्णय में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह दृष्टिकोण अपनाया गया है।

2. याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 28.07.2020 और 29.07.2020 की बाद की अधिसूचनाओं को दिनांक 09.03.2019 को विज्ञापित रिक्तियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की कार्यवाही से व्यथित हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उक्त अधिसूचनाएं भावी प्रकृति की हैं और दिनांक 09.03.2019 के विज्ञापन के तहत शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं की जा सकती थीं।तदनुसार, याचिकाकर्ता उत्तरवादी अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग करते हैं कि वे अपने नियुक्ति आदेशों को विज्ञापन की तिथि और रिक्तियों के वास्तविक रूप से उत्पन्न होने की तिथि, अर्थात् 09.03.2019 को प्रचलित नियमों और निर्देशों के अनुसार संशोधित करें।यह भी तर्क दिया गया है कि विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुसार, संबंधित पद के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष थी।हालांकि, दिनांक 28.07.2020 और 29.07.2020 की बाद की अधिसूचनाओं के माध्यम से परिवीक्षा अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।चूंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियाँ दिनांक 09.03.2019 के विज्ञापन के अनुसार हुई हैं, इसलिए बाद की अधिसूचनाओं के माध्यम से विस्तारित

परिवीक्षा अवधि से संबंधित शर्तें उन पर लागू नहीं होती हैं।अतः, याचिकाकर्ताओं के मामले में परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष के बजाय दो वर्ष मानी जानी चाहिए।अतः, ये समस्त रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं।

3. सुविधा और स्पष्टता के लिए, रिट याचिका (एस) संख्या 6436/2021 को मुख्य मामला माना गया है, और उक्त याचिका के तथ्यों का उल्लेख निर्णय के लिए किया जा रहा है।हालांकि, इस मामले में दिया गया निर्णय इससे संबंधित सभी रिट याचिकाओं पर भी लागू होगा, क्योंकि उनमें उठाए गए विवाद्यक समान प्रकृति के हैं।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण पदों, अर्थात् सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 09.03.2019 को एक विज्ञापन जारी किया गया था।उक्त भर्ती उस समय प्रचलित भर्ती नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी।उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, सभी याचिकाकर्ताओं ने, शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र होते हुए, विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए और चयन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लिया।भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर, उन्हें चयनित किया गया और याचिका के शीर्षक में उल्लिखित संबंधित पदों पर नियुक्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह कहा गया है कि उपर्युक्त विज्ञापन जारी होने से पहले, कई याचिकाकर्ता राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, जिनमें शिक्षक (श्रम एवं बाल विकास) कैडर, पर्यवेक्षक (महिला एवं बाल विकास विभाग), सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (एवीएफओ), सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ) और अन्य समकक्ष पद शामिल हैं।अपने–अपने विभागों से उचित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उन्होंने उक्त भर्ती के लिए आवेदन किया और चयन होने पर, शिक्षक कैडर के अंतर्गत अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपने पूर्व पदों से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया।याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि 3 सितंबर 2018 के तत्कालीन प्रचलित नियमों और परिपत्रों के अनुसार, इस भर्ती के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाना था और वे उस पद के न्यूनतम मूल वेतन के हकदार थे जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया था।विज्ञापन जारी होने और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय ये सेवा शर्तें लागू थीं। हालांकि, नियुक्ति आदेश जारी करते समय, उत्तरवादी ने 28 जुलाई 2020 के एक पश्चात परिपत्र के प्रावधानों को लागू किया, जिसके तहत नव नियुक्त शिक्षकों को प्रारंभिक सेवा अवधि के दौरान न्यूनतम मूल वेतन के बजाय केवल मानदेय दिया जाना था।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उक्त परिपत्र 09.03.2019 के विज्ञापन के काफी बाद जारी किया गया था और इसलिए इसे उनके मामले पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

6. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र द्वारा किया गया संशोधन भविष्य में लागू होगा, न कि पिछली तारीख से।09.03.2019 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और कई मामलों में परिणाम घोषित हो चुके थे तथा उक्त परिपत्र जारी होने से पहले ही याचिकाकर्ताओं का अस्थायी चयन हो चुका था।उनके दस्तावेजों का सत्यापन पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था

और सत्यापन से उनकी पात्रता और नियुक्ति के लिए चयन की पुष्टि हुई थी।हालांकि, इसके बाद उत्तरवादी ने पहले की दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और संशोधित परिपत्र के प्रावधानों को लागू करते हुए एक नई सत्यापन प्रक्रिया चलाई।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह मनमाना और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत था, क्योंकि प्रक्रिया के काफी आगे बढ़ जाने के बाद इसने भर्ती की शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से बदल दिया था।

7. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने सक्षम अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन और आपत्तियां उठाईं, जिसमें अनुरोध किया गया कि उनकी नियुक्तियां विज्ञापन के समय लागू नियमों और निर्देशों के अनुसार हों, और उन्हें न्यूनतम मूल वेतन के साथ दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि प्रदान की जाए।हालाँकि, उनके बार–बार अभ्यावेदन के बावजूद, उत्तरवादीगण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तथा उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का यह स्पष्ट मत है कि उनकी नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 और दिनांक 03.09.2018 के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, जो विज्ञापन जारी होने और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तिथि पर लागू थे।दिनांक 28.07.2020 का पश्चात जारी परिपत्र भविष्य में लागू होने के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं रख सकता, जिससे याचिकाकर्ताओं को मूल वेतन और अन्य लाभों के अपने अधिकार से वंचित किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं – श्री अजय श्रीवास्तव, सुश्री नौशीना अफरीन अली, श्री अजय कुमरानी, श्री प्रवीण धुरंधर, श्री गोविंद प्रसाद देवांगन और श्री मनीष उपाध्याय की ओर से उपस्थित श्री प्रभाकर तिवारी – ने संयुक्त रूप से निवेदन किया कि दिनांक 09.03.2019 के विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों और निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त होने और उस पद के मूल वेतन का 100% प्राप्त करने के पात्र थे, जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया था।हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने 3 अगस्त 2018 के तत्कालीन सर्कुलर को लागू करने के बजाय, गलती से 28 जुलाई 2020 के बाद के सर्कुलर को लागू कर दिया है, जिसमें वेतन प्रणाली शुरू की गई थी – जिसके तहत सेवा के पहले वर्ष में मूल वेतन का केवल 70%, दूसरे वर्ष में 80% और तीसरे वर्ष में 90% ही दिया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि उक्त सर्कुलर याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया इसके जारी होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी।

9. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार उत्तरवादीगण को 100% मूल वेतन प्रदान करने और उनके मामलों में दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र के लागू होने को रद्द करने के निर्देश देने हेतु यह रिट याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने दिनांक 12.09.2023 की अपनी अनुवर्ती अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 28.07.2020 के पूर्ववर्ती परिपत्र में संशोधन करके वेतन प्रणाली को समाप्त करने और कर्मचारियों को 100% मूल वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया है।हालांकि, उक्त अधिसूचना के खंड 3.1 में यह प्रावधान है कि यह लाभ केवल परिपत्र की तिथि से ही दिया जाएगा और नियुक्ति की तिथि से वेतन का निर्धारण काल्पनिक होगा, तथा इस बीच की

अवधि के लिए कोई बकाया देय नहीं होगा।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्णय मनमाना और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने नियुक्ति की तिथि से लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, और वेतन को काल्पनिक रूप से निर्धारित करके उन्हें वास्तविक वेतन से वंचित करना उनके वैध हक से वंचित करने के समान है।

10. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे यह तर्क दिया कि पूर्ण वेतन संरक्षण से वंचित करने की प्रतिवादियों की विवादित कार्रवाई मौलिक नियम 22–ए और 22–बी के विपरीत है, जो विशेष रूप से उन मामलों में अंतिम वेतन के संरक्षण का प्रावधान करते हैं जहां कोई सरकारी कर्मचारी तकनीकी रूप से पिछले पद से इस्तीफा देता है और उचित अनुमति के साथ किसी अन्य सरकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करता है।यह तर्क दिया गया है कि मौलिक नियम (एफआर) 22–ए के तहत, जहां किसी सरकारी कर्मचारी को उच्चतर जिम्मेदारियों वाले पद पर नियुक्त या पदोन्नत किया जाता है, तो उसे प्रारंभिक वेतन के रूप में निचले पद पर प्राप्त वेतन से ठीक ऊपर का वेतन प्राप्त होगा।इसके अलावा, एफआर 22–बी(1) के अनुसार, सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी को वही वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा जो वह पिछले पद पर प्राप्त कर रहा था, बशर्ते कि उक्त पद पर उसका अधिकार बना रहे।इस प्रकार, मौलिक नियम सरकारी कर्मचारी को ऐसी नियुक्ति पर किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि से बचाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पूर्व में शिक्षक (एल.बी.) कैडर, पर्यवेक्षक (महिला एवं बाल विकास), एवीएफओ, एडीईओ आदि पदों पर कार्यरत थे और अपने–अपने विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 09.03.2019 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, तकनीकी त्यागपत्र दिए और विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर कार्यभार ग्रहण किया। उनका यह स्थानांतरण, तकनीकी इस्तीफे का मामला होने के कारण, सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करता है और उन्हें एफआर 22–बी के तहत वेतन संरक्षण का हकदार बनाता है। यह भी निवेदन है कि वित्त विभाग के निर्देश संख्या 41/2008 दिनांक 03.08.2018 में यह प्रावधान है कि तकनीकी इस्तीफे के मामलों में, वेतन निर्धारण और अन्य लाभों के प्रयोजन के लिए पिछली सेवा को गिना जाएगा, और ऐसे कर्मचारियों को वेतन के बजाय पूरा मूल वेतन दिया जाएगा।28.07.2020 को जारी किया गया अनुवर्ती परिपत्र, जिसमें 70%–80%–90% वेतन संरचना लागू की गई है, भविष्य में लागू होगा और 2019 में जारी विज्ञापन के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवारों की सेवा शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता है।

12. विद्वान अधिवक्ताओं ने वित्त निर्देश संख्या 33/2023 दिनांक 12.09.2023 का भी हवाला दिया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने वेतन प्रणाली को समाप्त कर दिया था।उक्त निर्देश के खंड 3.2 में उन कर्मचारियों को मौलिक नियमों के तहत वेतन संरक्षण के अधिकार को मान्यता दी गई है, जिन्होंने उचित माध्यम से और तकनीकी इस्तीफे के द्वारा किसी अन्य सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है।हालांकि, खंड 3.3 अनुचित रूप से आदेश की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ को प्रतिबंधित करता है, जिससे कर्मचारियों को नियुक्ति और परिपत्र जारी होने के बीच की अवधि के बकाया से वंचित किया जाता है।यह निवेदन किया जाता है कि ऐसा

प्रतिबंध मनमाना और भेदभावपूर्ण है, विशेषकर तब जब अन्य जिलों में समान स्थिति वाले कर्मचारियों को बकाया वेतन सहित वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

13. यह तर्क दिया जाता है कि तकनीकी त्यागपत्र सेवा की निरंतरता को नहीं तोड़ता है, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 26.07.2005 और 26.12.2013 के कार्यालय ज्ञापनों में स्पष्ट किया गया है और विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इसकी पुष्टि की गई है, जिनमें **कृष्णाकांत तिवारी बनाम केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य, (2014) 13 एससीसी 471 और श्री जितेंद्र कुमार बनाम इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अन्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 6903** शामिल हैं।इन निर्णय मे,यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उचित माध्यम से किसी अन्य सरकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया त्यागपत्र एक तकनीकी त्यागपत्र है, और कर्मचारी सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का हकदार है।

14. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने पहले ही कई जिलों में समान स्थिति वाले कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित रखा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बिहार राज्य बनाम मिथिलेश कुमार (2010) 13 एससीसी 467, अर्जुन सिंह राठौर बनाम बी.एन. चतुर्वेदी और अन्य (2007) 11 एससीसी 605, और वाई.वी. रंगैया और अन्य बनाम जे. श्रीनिवास राव और अन्य (1983) 3 एससीसी 284 के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है,** जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी संशोधन से पहले उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर उस तिथि को लागू नियमों के अनुसार शासन किया जाएगा, और बाद के संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अतः यह निवेदन किया जाता है कि दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र का याचिकाकर्ताओं पर लागू होना, जिनका चयन दिनांक 09.03.2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर किया गया था, अवैध, मनमाना और असंवैधानिक है।याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अनुमति से सरकार के अधीन निरंतर सेवा प्रदान की है और तकनीकी इस्तीफे दिए हैं, इसलिए वे वेतन संरक्षण और अपनी नियुक्ति की तारीख से मूल वेतन का 100% प्राप्त करने के साथ–साथ परिणामी बकाया राशि के भी विधिक रूप से हकदार हैं।तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रार्थना की है कि न्यायालय उत्तरवादी को निम्नलिखित निर्देश दे:––

- याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की तिथि से मूल वेतन का 100% प्रदान किया जाए, न कि दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र के तहत लागू वजीफा प्रणाली (70%–80%–90%);
- नियुक्ति की तिथि से एफआर 22–बी(1) के तहत वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए; और
- दिनांक 12.09.2023 की अधिसूचना में लगाए गए उस प्रतिबंध को रद्द किया जाए, जो वित्तीय लाभ को बकाया के बिना काल्पनिक निर्धारण तक सीमित करता है।

16. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अजय कुमार पांडे ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि संपूर्ण रिट याचिका, जिस रूप में तैयार और दायर की गई है, योग्यताहीन है, तथ्यों और कानून दोनों ही दृष्टि से गलत है, और प्रारंभिक चरण में ही खारिज किए जाने योग्य है।यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी लागू करने योग्य कानूनी या संवैधानिक अधिकार को सिद्ध करने में विफल रहे हैं।विद्वान शासकिय अधिवक्ता ने प्रारंभ में ही कहा कि कई याचिकाकर्ताओं द्वारा समेकित रूप में दायर की गई यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक याचिकाकर्ता की नियुक्ति व्यक्तिगत रूप से और अलग–अलग पदों पर हुई थी, जिससे अलग–अलग वाद–कारण उत्पन्न होते हैं।यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि अलग–अलग और असंबंधित वादों से संबंधित संयुक्त याचिका रिट न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है।अतः, इस याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।आगे यह तर्क दिया गया है कि यह याचिका विलंब और लापरवाही से दायर की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 28.07.2020 और 29.07.2020 की अधिसूचनाओं को एक वर्ष से अधिक के अस्पष्ट विलंब के बाद चुनौती दी है।इन याचिकाओं को 25.10.2021 को दायर किया गया है, लेकिन इस विलंब के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।यह तर्क दिया गया है कि विवादित परिपत्रों से अवगत होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने उस समय कोई कानूनी रास्ता नहीं अपनाया और नई व्यवस्था के तहत स्वेच्छा से अपनी नियुक्तियाँ स्वीकार कर लीं।इसलिए, नियुक्ति की शर्तों को स्वीकार करने और बिना किसी विरोध के सेवा में बने रहने के कारण, याचिकाकर्ता अब उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने के अधिकार से वंचित हैं जिनके तहत उन्हें नियुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. विद्वान शासकिय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वर्तमान याचिकाओं के समूह में शामिल मुद्दा अब नया नहीं है, क्योंकि एक समान विवाद पर पहले ही इस न्यायालय द्वारा डब्लू.पी.(एस) संख्या 2530/2021 **(विजयेंद्र महिला और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य)** औरअन्य संबंधित याचिकाओं में निर्णय दिया जा चुका है, जिन्हें दिनांक 10.03.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र के बाद नियुक्त कर्मचारी संशोधित नीति द्वारा शासित हैं, न कि दिनांक 03.08.2018 के पूर्ववर्ती परिपत्र द्वारा।उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है, और इसलिए, समान तथ्यों और विवाद्यक पर आधारित होने के कारण, बाध्यकारी पूर्व निर्णय के मद्देनजर वर्तमान याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 09.03.2019 का विज्ञापन केवल भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने का निमंत्रण था और इसने याचिकाकर्ताओं को कोई निहित या अर्जित अधिकार प्रदान नहीं किया था।भर्ती प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान, सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.07.2020 और 29.07.2020 के परिपत्र जारी करके सेवा शर्तों में संशोधन किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि इसके बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों पर परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन प्रणाली लागू होगी।चूंकि याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश इन परिपत्रों के लागू होने के

बाद ही जारी किए गए थे, इसलिए उनकी सेवा शर्तें अनिवार्य रूप से नियुक्ति की तिथि पर प्रचलित नियमों और निर्देशों द्वारा शासित होती हैं, न कि विज्ञापन की तिथि पर।

18. विद्वान शासकिय अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र जारी होने के बाद अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण किया था, और इस प्रकार, संशोधित नियम उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही लागू हो चुके थे।याचिकाकर्ताओं ने बदली हुई नीति की पूरी जानकारी होने के बावजूद, बिना किसी विरोध के अपने नियुक्ति आदेश स्वीकार किए, कार्यभार ग्रहण किया और सेवा में बने रहे।ऐसा करने के बाद, वे अपने स्वयं के आचरण के कारण इस विलंबित चरण में उक्त परिपत्रों की प्रयोज्यता को चुनौती देने से प्रतिबंधित हैं।यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि उनके पूर्व पदों से उनका इस्तीफा तकनीकी इस्तीफा था, निराधार है और इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि ये इस्तीफे सक्षम प्राधिकारी की सहमति और स्वीकृति के बाद दिए गए थे, और न ही यह कि इन्हें एफआर 22–बी या वेतन संरक्षण से संबंधित संबंधित निर्देशों के अनुसार स्वीकार किया गया था।इस संबंध में विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में, उनके "**तकनीकी इस्तीफे**" के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और परिणामस्वरूप, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वैसे भी याचिकाकर्ता 3 अगस्त 2018 के पूर्ववर्ती परिपत्र के लागू होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह दिनांक 28 जुलाई 2020 के अनुवर्ती परिपत्र द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो उनकी नियुक्ति के समय लागू था। दिनांक 28 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 के उक्त परिपत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत नव नियुक्त शिक्षक परिवीक्षा अवधि के मूल वेतन के स्थान पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के दौरान क्रमशः 70%, 80% और 90% मूल वेतन के लिये पात्र होंगे।अतः याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तें उनकी नियुक्ति की तिथि पर लागू नियमों और परिपत्रों द्वारा शासित होती हैं।यह तर्क दिया गया है कि वेतन संरक्षण के सिद्धांत पर याचिकाकर्ताओं का भरोसा निराधार है।इस प्रकार का संरक्षण तभी उपलब्ध होता है जब कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत करने के बाद उचित माध्यम से सरकारी सेवा में किसी अन्य पद पर कार्यभार ग्रहण करता है।चूंकि याचिकाकर्ता प्रक्रियात्मक अनुपालन स्थापित करने में विफल रहे हैं, इसलिए वेतन संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसके अतिरिक्त, संशोधित वित्तीय निर्देश संख्या 21/2020 उनकी परिवीक्षा अवधि को नियंत्रित करता है और उन्हें केवल उसमें अधिसूचित वजीफा संरचना के लिए ही पात्र बनाता है।यह भी निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन में उल्लिखित नियमों और शर्तों की पूर्ण जानकारी के साथ स्वेच्छा से भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें खंड 7 भी शामिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि को दो वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है और नियुक्ति समय–समय पर संशोधित नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। इसलिए, प्रक्रिया में भाग लेने और बदले हुए नियमों के तहत नियुक्तियाँ स्वीकार करने के कारण,याचिकाकर्ताओं को उन शर्तों को चुनौती देने से रोक दिया गया है जिनके तहत उन्होंने सेवा में प्रवेश किया था।

20. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं का पूर्ववर्ती नियमों को लागू करने या बाद में समाप्त की गई वजीफा प्रणाली के तहत बकाया भुगतान का दावा पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि 12.09.2023 के नीतिगत निर्णय में ही यह प्रावधान है कि संशोधित योजना के तहत वेतन का निर्धारण काल्पनिक होगा और इस बीच की अवधि के लिए कोई बकाया देय नहीं होगा।यह शर्त, नीतिगत निर्णय का हिस्सा होने के कारण, मनमानी, दुर्भावना या वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के अभाव में इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जिनमें से कोई भी इस मामले में सिद्ध नहीं हुआ है।अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने 28.07.2020 के परिपत्र जारी होने के बाद सेवा में शामिल होने के कारण संशोधित नीति को पूर्णतः लागू किया है, और पूर्ववर्ती परिपत्र के विस्तार या वेतन संरक्षण के लिए उनका तर्क सारहीन है। याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं में मांगे गये किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं, जो भ्रामक, विलंब और लापरवाही से बाधित और योग्यताहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

21. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिकाओं के साथ दायर किए गए अभिवेदनों सहित अभिलेख पर रखे गए अभिवेदनों, दस्तावेजों और सामग्रियों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इन मामलों में शामिल मुद्दे का निर्णय करने के लिए, मौलिक नियम 22–ए और 22–बी का संदर्भ लेना और उन पर विचार करना उचित होगा, जिन्हें त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" एफआर 22–एः"यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या कार्यवाहक के रूप में कार्यरत है और उसे स्थायी, अस्थायी या कार्यवाहक के रूप में पदोन्नत किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, और उसे किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां उसके वर्तमान पद से अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो जब तक वह अन्यथा विकल्प नहीं चुनता है, उसे नए पद के वेतनमान में प्रारंभिक वेतन के रूप में उस स्तर का वेतन मिलेगा जो पदोन्नति या नियुक्ति से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे निचले पद के वेतनमान से ठीक ऊपर हो।"

एफआर 22–बी (1):इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, 1 जनवरी, 1973 को या उसके बाद सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी को प्रारंभिक वेतन के रूप में वही वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उसे नियमित आधार पर अपने पिछले पद पर प्राप्त होता था, परंतु कि उक्त पद पर उसका अधिकार बना रहे।यह प्रावधान एक विशिष्ट वैधानिक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी पिछले पद पर सेवा देने के बाद सरकार के अधीन किसी नए पद पर नियुक्त होता है तो उसके वेतन की सुरक्षा हो।"

23. उपर्युक्त मौलिक नियमों का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि मौलिक नियम 22–ए पदोन्नति या उच्च कर्तव्यों और जिम्मेदारियों वाले पद पर नियुक्ति के मामलों को नियंत्रित करता है, जबकि मौलिक नियम 22–बी उन मामलों में वेतन संरक्षण प्रदान करता है जहां किसी सरकारी कर्मचारी को नियमित

आधार पर पूर्व पद धारण करने के बाद सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है और उस पद पर उसका आधिपत्य बना रहता है।इस प्रकार, जहां मौलिक नियम 22–ए मुख्य रूप से पदोन्नति पर प्रारंभिक वेतन निर्धारण से संबंधित है, वहीं मौलिक नियम 22–बी यह सुनिश्चित करता है कि किसी कर्मचारी को नए पद पर नियुक्ति के बाद वेतन में कोई कमी न हो, बशर्ते उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए।

24. उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने अन्य पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने पूर्व पद से तकनीकी त्यागपत्र दिया था, जिन पर उन्हें नियुक्त किया गया था। अतः, मौलिक नियम 22–ए (1) के अनुसार, वेतन संरक्षण के लिए उनका दावा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त नियमों के अनुसार, स्थायी पूर्व पद पर आसीन व्यक्ति को उस प्रारंभिक वेतन का हकदार माना जाएगा जो वह अन्य सेवा में शामिल होने के समय प्राप्त कर रहा था, और संबंधित व्यक्तियों को अंतिम वेतनमान से वंचित नहीं किया जा सकता है।कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी परिपत्रों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उचित माध्यम से किसी अन्य सरकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दौरान दिया गया तकनीकी त्यागपत्र सेवा की निरंतरता को भंग नहीं करता है, और इस प्रकार, यह कर्मचारी को वेतन संरक्षण सहित सभी सेवा लाभों का हकदार बनाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अब, यह न्यायालय पहले वेतन निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर विचार करेगा, क्योंकि यह वर्तमान याचिकाओं में निर्णय हेतु उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न है।

26. यह विवाद मूलतः इस बात पर केंद्रित है कि क्या याचिकाकर्ता, जिन्होंने अपने पूर्व स्थायी पदों से तकनीकी इस्तीफ़ा दिया है और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति से उसी विभाग में उच्च पदों पर नियुक्त हुए हैं, मौलिक नियम 22–बी(1) और राज्य सरकार द्वारा जारी संबंधित वित्त विभाग के निर्देशों के प्रावधानों के तहत वेतन संरक्षण के हकदार हैं।इस विवाद्यक के निर्धारण के लिए मौलिक नियम 22–ए और 22–बी के दायरे और प्रयोज्यता, सेवा न्यायशास्त्र में तकनीकी इस्तीफ़े की अवधारणा और पक्षों द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न परिपत्रों, वित्त निर्देशों और न्यायिक दृष्टांत के प्रभाव की जांच आवश्यक है।

27. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो पूर्व में पंचायत के अधीन शिक्षक और सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और बाद में विद्यालय शिक्षा विभाग में समाहित हो गए थे, और जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति प्राप्त करके अपने पूर्व पदों से तकनीकी त्यागपत्र देने के बाद व्याख्याता और शिक्षक (विद्यालय शिक्षा विभाग) के उच्च पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, मौलिक नियम 22–बी(1) और संबंधित वित्त विभाग के निर्देशों के प्रावधानों के तहत वेतन संरक्षण के हकदार हैं।

28. अभिवेदनों, संबंधित वैधानिक प्रावधानों और अभिलेख में रखे गए साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट है कि वेतन संरक्षण की अवधारणा सेवा न्यायशास्त्र में एक सुस्थापित सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के कारण

वित्तीय नुकसान न हो, जब ऐसा स्थानांतरण उचित माध्यम से और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया गया है।एफआर 22–बी(1) का उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन की रक्षा करना है, जिसका पूर्व स्थायी पद पर आधिपत्य है और जिसे 01.01.1973 को या उसके बाद सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त किया गया है।

29. वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह में, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही शिक्षक और सहायक शिक्षक (पंचायत) के अपने पूर्व स्थायी पदों से तकनीकी इस्तीफे दिए थे, और उसके बाद उन्हें उसी विभाग में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। उनके इस्तीफे, तकनीकी प्रकृति के होने के कारण, सेवा की निरंतरता को समाप्त नहीं करते हैं, और इसलिए, उनकी पिछली सेवाओं को वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, पेंशन और वरिष्ठता सहित सभी सेवा–संबंधी लाभों के लिए गिना जाना चाहिए।उक्त स्थिति वित्त विभाग के निर्देश संख्या 41/2018 दिनांक 03.08.2018 और वित्त निर्देश संख्या 33/2023 दिनांक 12.09.2023 द्वारा पुष्ट होती है, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभागीय अनुमति प्राप्त करने के बाद तकनीकी त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी मौलिक नियमों के अंतर्गत वेतन संरक्षण के पात्र होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. अभिलेखों से यह भी सिद्ध होता है कि विभिन्न जिलों में इसी प्रकार की स्थिति वाले कर्मचारियों को, जिन्होंने तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत करने के बाद नए पदों पर कार्यभार ग्रहण किया था, राज्य सरकार द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है।अतः, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को इस प्रकार के लाभ से वंचित करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव के समान है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कृष्णकांत तिवारी (उपरोक्त)** मामले में इसी तरह के विवाद्यक पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया है कि उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता के सेवा अभिलेख को सही करें और 1.08.1989 को मध्य प्रदेश सेवा में प्राप्त उनके अंतिम वेतन को संरक्षित करें, और उसके बाद उन्हें उस आधार पर परिणामी सेवा लाभ भी प्रदान करें, और निम्नानुसार निर्णय दिया: ––

"11. हमने दोनों पक्षों के तर्क को सुना हैं।जिस परिपत्र/ज्ञापन पर भरोसा किया गया है, उसके अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के वेतन संरक्षण का मुद्दा सरकार के ध्यान में काफी समय से है।इसके बाद अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि ये आदेश उस महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगे जिसमें कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, अर्थात् 1–8–1989 से। चूंकि यह कहा गया है कि आदेश 1–8–1989 से प्रभावी होगा, इसलिए इस खंड को इसके मूल अर्थ में ही समझा जाना चाहिए।इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भर्ती किए गए कर्मचारी, जैसे कि अपीलकर्ता जो पहले मध्य प्रदेश सरकार की सेवा में थे, 1–8–1989 से वेतन संरक्षण के हकदार होंगे।हालांकि, उन्हें उस

तिथि से पहले वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा।इस तरह से व्याख्या की गई, इससे ज्ञापन को कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं मिलेगा।

12. इन परिस्थितियों में, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। अपीलकर्ता द्वारा दायर ओए संख्या 341/1999 परिणामस्वरूप आंशिक रूप से स्वीकार की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा। उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता के सेवा अभिलेख को संशोधित करें, जिसमें मध्य प्रदेश सेवा में 1–8–1989 को प्राप्त उनके अंतिम वेतन को संरक्षित किया जाए, और उसके बाद उन्हें उस आधार पर परिणामी सेवा लाभ भी प्रदान करें।आवश्यक कार्य तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा।इस प्रकरण के तथ्यों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।"

32. इसके अलावा, जितेंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उचित माध्यम से दिया गया त्यागपत्र तकनीकी त्यागपत्र माना जाएगा, और ऐसे कर्मचारी एफआर 22–बी(1) और विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.07.2005 और 26.12.2013 के तहत सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण के हकदार हैं, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया :– ––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. मैं याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार के दिनांक 26.7.2005 और 26.12.2013 के प्रासंगिक कार्यालय ज्ञापन, जो निस्संदेह उत्तरवादी संख्या 1 पर लागू होते हैं, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी संगठन में उचित माध्यम से कार्यरत रहते हुए किसी अन्य सरकारी संगठन में रोजगार के लिए आवेदन करता है, तो पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ सेवाओं की समाप्ति केवल तकनीकी इस्तीफे के माध्यम से होगी, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ कर्मचारी की सेवाएं नए नियोक्ता के साथ कर्मचारी की सेवाओं में जुड़ जाएंगी।वर्तमान मामले में, नया नियोक्ता एक सरकारी संगठन है जिसका नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलवे मंत्रालय) है, यानी भारत सरकार का एक उद्यम है, और इसलिए याचिकाकर्ता 26.7.2005 और 26.12.2013 के डीओपीटी ज्ञापनों के लाभ का हकदार होगा।तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त किए जाने की तिथि से, उत्तरवादी संख्या 1 के साथ याचिकाकर्ता की सेवाओं को समर्पित माल ढुलाई गलियारा निगम लिमिटेड (रेलवे मंत्रालय), भारत सरकार के उद्यमों के साथ याचिकाकर्ता की सेवाओं में जोड़ दिया जाएगा, और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ याचिकाकर्ता के इस्तीफे को तकनीकी इस्तीफा माना जाएगा।यह भी ध्यान दिया जाता है कि उत्तरवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के डीएफसीसीआईएल में रोजगार के लिए आवेदन को दिनांक 19.5.2015 के पत्र के माध्यम से उचित माध्यम से अग्रेषित किया था, और याचिकाकर्ता के त्यागपत्र की स्वीकृति भी उत्तरवादी संख्या 1 के दिनांक 24.7.2015 के पत्र द्वारा हुई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति हुई थी।अतः, चूंकि याचिकाकर्ता का उत्तरवादी संख्या 1 के समक्ष दिया गया त्यागपत्र केवल एक

तकनीकी त्यागपत्र है, इसलिए दिनांक 26.7.2005 और 26.12.2013 के विभागाध्यक्षीय ज्ञापनों को लागू करने पर कानून के अनुसार उपलब्ध सभी आवश्यक परिणाम याचिकाकर्ता के पक्ष में लागू होंगे।"

33. उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू करते हुए, न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता एफआर 22–बी(1) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरी तरह से पूरा करते हैं, अर्थात्—

(i) पूर्व **नियमित पद पर आधिपत्य,**

(ii) उ**चित अनुमति और उचित माध्यम से सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति, और (iii)** सेवा **में किसी प्रकार का व्यवधान न होना।**

34. इसलिए, याचिकाकर्ताओं का प्रारंभिक वेतन निम्न स्तर पर निर्धारित करना या परिवीक्षा अवधि के दौरान विज्ञापित वेतनमान का केवल 70%, 80% और 90% ही देना उत्तरवादी के लिए उचित नहीं था। ऐसा निर्धारण एफआर 22–बी(1) के वैधानिक आदेश और राज्य सरकार द्वारा जारी बाध्यकारी वित्त निर्देशों के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. तदनुसार, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता व्याख्याता और शिक्षक के रूप में अपनी नई नियुक्तियों पर पूर्ण वेतन संरक्षण के हकदार हैं, और उनका प्रारंभिक वेतन उनके पिछले स्थायी पदों पर प्राप्त अंतिम वेतन से कम नहीं होगा।उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के वेतन को एफआर 22–बी (1) के अनुसार पुनः निर्धारित करें, उन्हें उनके अंतिम प्राप्त वेतन और सभी परिणामी सेवा लाभों का लाभ प्रदान करके, जिसमें वेतन वृद्धि, बकाया और पेंशन लाभों का संशोधन शामिल है।

36. उत्तरवादी द्वारा वेतन सुरक्षा से वंचित करने की आक्षेपित कार्यवाही मनमानी, भेदभावपूर्ण और विधिवत रूप से अस्वीकार्य है।अतः, वेतन निर्धारण से संबंधित विवाद्यक याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

37. अब, यह न्यायालय दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र की प्रयोज्यता और पूर्वव्यापी प्रभाव से संबंधित विवाद्यक पर विचार करता है, जिसमें सेवा के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान क्रमशः मूल वेतन के 70%, 80% और 90% की दर से वेतन भुगतान की प्रणाली शुरू की गई थी, और इसके बाद दिनांक 12.09.2023 के वित्त निर्देश पर विचार करेगा, जिसने उक्त वेतन प्रणाली को समाप्त कर दिया, लेकिन नियुक्ति की तिथि से नाममात्र रूप से और वास्तव में परिपत्र की तिथि से 100% मूल वेतन का लाभ प्रदान किया।

38. घटनाओं के निर्विवाद क्रम से पता चलता है कि सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिनांक 09.03.2019 को जारी किया गया था।वेतन प्रणाली शुरू करने वाला दिनांक 28.07.2020 का परिपत्र एक वर्ष से अधिक समय बाद आया, उस समय जब 09.03.2019 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, और याचिकाकर्ताओं ने उस समय प्रचलित शर्तों के तहत

प्रक्रिया में भाग लिया था।दिनांक 12.09.2023 के वित्त निर्देश ने बाद में वेतन प्रणाली को समाप्त कर दिया और 100% मूल वेतन का प्रावधान बहाल कर दिया, लेकिन वित्तीय लाभ को परिपत्र की तिथि से ही भविष्य में लागू होने तक सीमित कर दिया, और नियुक्ति की तिथि से केवल सांकेतिक वेतन निर्धारण प्रदान किया। इस कालानुक्रम से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया और उनका चयन हुआ, उस समय ऐसा कोई नियम, परिपत्र या निर्देश लागू नहीं था जो परिवीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण मूल वेतन से कम भुगतान की अनुमति देता हो।

39. सेवा न्यायशास्त्र में यह सर्वविदित है कि कार्यकारी निर्देश और परिपत्र भविष्य में लागू होते हैं, जब तक कि उनमें प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव का संकेत न दे।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार यह अभिनिर्धारित किया है कि सेवा शर्तें भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रचलित नियमों द्वारा शासित होती हैं, और बाद में किए गए कार्यकारी या नीतिगत परिवर्तनों को कर्मचारी के हित में पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि नियम बनाने वाला प्राधिकरण स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान न करे।

40. **पी. तुलसी दास और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य (2003) 1 एससीसी 364 के मामले में,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह यह अभिनिर्धारित किया है कि नियमों और परिपत्रों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, यह हमेशा भावी रूप से लागू होता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता है: ––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. गुजरात राज्य में तथा अन्र बनाम.रमन लाल केशव लाल सोनी तथा अन्य, [1983] 2 एस. सी. सी. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को गुजरात राज्य द्वारा पूर्वव्यापी रूप से पारित गुजरात पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 से उत्पन्न स्थिति से निराकरण का अवसर मिला था, जिसके तहत पुराने ग्राम पंचायतों के सचिवों, अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सेवा के सदस्यों का दर्जा देने से वंचित कर दिया गया था।उसमें, अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती को स्वीकार करते हुए, निहित या अर्जित अधिकारों के अन्यायपूर्ण हनन के आधार पर, निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:(एस. सी. सी. पीपी. 59–63, पैरा 48 और 51 –और 52)

"48.उपरोक्त वर्णित संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के सारांश से यह स्पष्ट है कि संशोधन कानून का मुख्य लक्ष्य 'पूर्व नगर निगम कर्मचारियों' का वर्ग है, जिन्हें पंचायत सेवा से बाहर कर दिया गया है और जिन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और उससे मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है।पूर्व नगर निगम कर्मचारी वस्तुतः "गरीब रिश्तेदार" हैं; पंचायत सेवा, यानी किला, उनके लिए नहीं है, न ही इससे जुड़े लाभ, विशेषाधिकार और सुविधाएं, जो केवल "वंशानुगत वंशजों" के लिए हैं।उनके लिए केवल बाहरी भवन ही बचे हैं।संशोधनों के परिणामस्वरूप वे पूर्वव्यापी प्रभाव से सरकारी कर्मचारी नहीं रह गए हैं।पंचायत सेवा में उनका पूर्व आवंटन पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।वे पूर्वव्यापी प्रभाव से ग्राम एवं नगर पंचायतों के कर्मचारी बन गए हैं।उनके साथ तालुका और जिला पंचायतों में काम करने वालों के साथ–साथ ग्राम और नगर

पंचायतों में काम करने वाले तलाती और कोतवाल से भी अलग व्यवहार किया जाता है।उनकी सेवा शर्तें पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित करके निर्धारित की जाती हैं, जबकि अन्य की सेवा शर्तें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।उनकी पदोन्नति की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं और न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप उन्हें मिलने वाले सभी लाभ छीन लिए जाते हैं।

51. अब, 1978 में संशोधन अधिनियम पारित होने से पहले, 1961 के मूल अधिनियम के प्रावधानों के कारण, पूर्व नगरपालिका कर्मचारियों को, जिन्हें ग्राम एवं नगर पंचायतों के सचिवों, अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में पंचायत सेवा में आवंटित किया गया था, सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो गया था। जब तक इन पदों को समाप्त नहीं किया जाता और संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अनुसार उनकी सेवाएँ समाप्त नहीं की जातीं है, तब तक सरकारी कर्मचारी के रूप में उनका दर्जा समाप्त नहीं किया जा सकता था।न ही उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना अनुमेय था।ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता।इस कथित भेदभाव को इतिहास और वंश के आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया गया।यह कहा जाता था कि ग्राम एवं नगर पंचायतों के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले तलाती और कोतवाल तो आरंभिक रूप से ही सरकारी कर्मचारी थे, जबकि ग्राम एवं नगर पंचायतों के ऐसे सचिव, अधिकारी और कर्मचारी बनने वाले नगरपालिका कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं थे।प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल स्थान की पहचान रखता था और यह दावा किया जाता था कि उनके सेवा में आने के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण करना उचित था।हमारा मानना है कि यह उचित नहीं है।एक बार जब वे समान कर्तव्यों का पालन करने के लिए सेवा की सामान्य धारा में शामिल हो जाते हैं, तो उनके मूल स्थान के आधार पर कोई भी वर्गीकरण करना स्पष्ट रूप से अनुमेय नहीं है।ऐसा वर्गीकरण अनुचित और इच्छित उद्देश्य से पूरी तरह अप्रासंगिक होगा। अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 14 की इन दो बाधाओं को दूर करने के लिए ही संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ऐसी कृत्रिम स्थिति उत्पन्न की जा सके मानो पूर्ववर्ती नगरपालिका कर्मचारी कभी राज्य के अधीन सेवा के सदस्य बने ही न हों। क्या कोई कानून 17 वर्ष पूर्व की स्थिति में कृत्रिम रूप से वापस जाकर आज के अर्जित संवैधानिक अधिकारों को नष्ट कर सकता है?नही..

52. यदि हम विधायिका द्वारा बनाए गए विधि के संदर्भ में इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, तो विधि शुद्ध तथा सरल, आत्म–भ्रामक है।विधायिका निस्संदेह पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाकर मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित किसी भी निहित अधिकार को समाप्त या बाधित कर सकती है, लेकिन चूंकि कानून लिखित संविधान के तहत बनाए जाते हैं और उन्हें संविधान के नियमों का पालन करना होता है, इसलिए न तो भावी और न ही पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें। कानून को आज के संविधान की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिसमें पक्षों के वर्तमान में अर्जित या प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखा जाए।कानून यह नहीं कह सकता कि 20 साल पहले पक्षों के पास कोई अधिकार नहीं थे, इसलिए यदि कानून को 20 साल पीछे की दिनांकसे लागू किया जाए तो संविधान की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।हम आज के अधिकारों की बात कर रहे हैं, न कि बीते कल के अधिकारों की। आज कोई भी विधायिका 20 वर्ष पूर्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इन 20 वर्षों में घटित घटनाओं और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए कानून नहीं बना सकती है। यह अत्यंत मनमाना, अनुचित और इतिहास का घोर उल्लंघन होगा। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बी.एस. यादव बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह बात स्पष्ट की थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न्यायालय की ओर से यह अभिनिर्धारित किया गया :(एससीसी हेडनोट)चूंकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए उसे उस प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का अधिकार है।परंतु नियमों के लागू होने की तिथि नियमों में निहित प्रावधानों के साथ उचित संबंध दर्शाती होनी चाहिए, चाहे नियमों के स्वरूप से स्पष्ट हो या बाह्य साक्ष्यों द्वारा, विशेषकर तब जब पूर्वव्यापी प्रभाव लंबी अवधि तक फैला हो, जैसा कि इस मामले में है।आज के समतावादियों को यह कहकर विषमता में नहीं बदला जा सकता है कि वे 20 वर्ष पहले विषम थे और हम आज एक विधि बनाकर और उसे पूर्वव्यापी बनाकर उस स्थिति को पुनर्स्थापित करते है । संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक दायित्वों और संवैधानिक परिणामों के साथ इस प्रकार छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।जो कानून आज बनाया जाए तो मौजूदा स्थिति में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण स्पष्ट रूप से अमान्य होगा, उसे पूर्वव्यापी बनाकर वैध नहीं बनाया जा सकता है। अतीत के संवैधानिक गुणों को पूर्वव्यापी कानूनों द्वारा वर्तमान संवैधानिक दोषों पर हावी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारा दृढ़ मत है कि गुजरात पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 असंवैधानिक है, क्योंकि यह अनुच्छेद 311 और 14 का उल्लंघन करता है और मनमाना एवं अनुचित है। हमने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या गुजरात पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 के किसी प्रावधान को बचाया जा सकता है।हमें भय है कि ये प्रावधान आपस में इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि किसी भी जीवनरक्षक सर्जरी पर विचार करना लगभग असंभव है।तीसरा संशोधन अधिनियम पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए...

12. पूर्व–कैप्टन के.सी. अरोरा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, [1984] 3 एससीसी 281 में, उपरोक्त संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, पंजाब सरकार के राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियमों में पूर्वव्यापी प्रभाव से अर्जित या संचित मौलिक अधिकारों को छीनने वाले संशोधन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया था।उक्त मामले में नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन के परिणामस्वरूप एक निश्चित तिथि के बाद सैन्य सेवा का लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से छीन लिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को प्राप्त निहित अधिकार समाप्त हो गए और इसे संविधान के विरुद्ध घोषित कर रद्द कर दिया गया।

13. चेयरमैन, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम सी.आर. रंगाधमैया और अन्य, [1997] 6 एससीसी 623 में, इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ को सेवा नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन की वैधता से निराकरण का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवसर मिला, जो संशोधन के माध्यम से जारी अधिसूचना की तारीख को पहले से ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता था। पीठ का मत था कि स्वीकार्य पेंशन सेवानिवृत्ति के समय लागू नियमों के अनुसार थी, और इस विषय पर विधिक मामले की व्यापक पुनर्विलोकन के पश्चात् पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकार्य पेंशन में कमी को मनमाना और अनुचित माना गया।

14. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर इन अपीलों की स्थिति के आलोक में सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे इन मामलों पर पूर्णतया लागू होते हैं और अपीलकर्ताओं के पक्ष में हैं।उत्तरवादी –राज्य की ओर से यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त और दावा किए गए अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए किसी वैधानिक अधिनियम या नियमों के अंतर्गत होने चाहिए और अन्य मामलों में वैध रूप से अधिकारों का कोई अधिग्रहण नहीं हो सकता है, जिससे राज्य को चुनौती दी गई प्रकृति के कानून को गंभीर विसंगतियों को दूर करने के लिए अधिनियमित करने का अधिकार न हो, जो उत्पन्न हो गई थीं और जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक था, हमारी स्वीकृति के योग्य नहीं है।यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र, पहलू या विषय के संबंध में नियमों के अभाव में, राज्य को अनुच्छेद 162 के अंतर्गत अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रावधान बनाने की अनुमति है, जो उसकी विधायी शक्तियों के सम–विस्तारित है, जिसके तहत सेवा की शर्तें निर्धारित की जाती हैं और किसी नागरिक को प्राप्त या अर्जित अधिकार कानून के अंतर्गत अर्जित अधिकार माने जाएंगे और उस हद तक संरक्षित होंगे।फरवरी 1967 से 1985 तक और कम से कम अधिनियम पारित होने तक, समय-समय पर सरकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और जनहित की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पारित किए गए आदेशों ने उस अवधि के दौरान अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त कानूनी आधार प्रदान किया, जब वे पूरी तरह से लागू थे।उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के आदेशों ने भी ऐसे अधिकारों को मान्यता दी और उनका समर्थन किया, और वे आदेश कानून के अनुसार सरकार द्वारा आगे चुनौती दिए बिना अंतिम हो गए।संबंधित शिक्षकों द्वारा प्राप्त ऐसे अधिकार, लाभ और विशेषाधिकारों को कानून के विरुद्ध प्राप्त अधिकार नहीं कहा जा सकता है, न ही इन्हें सरकार की मनमानी से नजरअंदाज किया जा सकता है।अतः हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि विधानमंडल ने अपीलकर्ताओं द्वारा पूर्वव्यापी रूप से अर्जित उन अधिकारों को वैध रूप से नकार दिया होगा, जिससे न केवल उन्हें उन अधिकारों से वंचित किया गया बल्कि राज्य को उन्हें भुगतान की गई राशि वापस करने और बहाल करने का प्रावधान भी बनाया गया।यद्यपि अधिनियम के प्रावधान 'भविष्य में' वैध हो सकते हैं, लेकिन वे उस हद तक वैध नहीं माने जा सकते है जहाँ तक वे बीते समय की स्थिति को बहाल करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा पहले से प्राप्त, अर्जित और उपलब्ध लाभों को छीन लेते हैं।उपरोक्त सभी कारणों से न्यायाधिकरण के बहुमत के मत द्वारा दिए गए कारणों को हम स्वीकार नहीं कर सकते है।धारा 2 और 3(क) के प्रावधान, जहां तक वे 10–2–1967 से अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं और उन लोगों को बाध्य करते हैं जिनके पास वे अधिकार थे, उन्हें राज्य को वापस चुकाने या लौटाने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें मनमाना, अनुचित और ज़ब्तीकारी मानते हुए निरस्त किया जाता है और इस प्रकार वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का उल्लंघन करते हैं।हमारे विचार में, इसके अंतर्गत शक्तियों के भावी प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि इससे अपीलकर्ताओं और समान परिस्थितियों वाले अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से न्यायालयों का रुख किया हो या नहीं। धारा 2 में निहित प्रावधानों को इस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए कि वे केवल भावी रूप से लागू हों, ताकि उनके पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाली असंवैधानिकता से बचा जा सके।"

41. इसके अलावा, मिथिलेश कुमार (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है: --

"19. विद्वान एकल न्यायाधीश और युगल पीठ दोनों ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि भर्ती के मानदंडों में परिवर्तन भावी रूप से लागू किया जा सकता है और उन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता जिन्हें चयन प्रक्रिया शुरू होने के समय लागू मानदंडों के अनुसार नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। उत्तरवादी को मौजूदा मानदंडों के अनुसार सहायक प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था।उनकी नियुक्ति या नियुक्ति पर विचार किए जाने से पहले ही, भर्ती के मानदंडों में उत्तरवादी के हित के विरुद्ध परिवर्तन कर दिया गया।"प्रश्न यह है कि क्या वे परिवर्तित मानदंड उत्तरवादी पर लागू होंगे।

20. उत्तरवादी की ओर से उद्धृत निर्णयों में चयन प्रक्रिया के दौरान संशोधित और/या परिवर्तित नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में कानून को स्पष्ट रूप से समझाया गया है।वे सभी एकमत से कहते हैं कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि पर प्रचलित मानदंड या नियम ही चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करते है और ऐसे मानदंडों में कोई भी परिवर्तन चल रही प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, जब तक कि विशेष रूप से उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया गया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. इसके अलावा, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सर्किल 26(1), नई दिल्ली बनाम एस.आर.एम.बी. डेयरी फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 13 एससीसी 239 के मामले में, इसी तरह के विवाद्यक से निराकरण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :- --

"11. युगल पीठ ने परिपत्र के क्रियान्वयन में विसंगति की ओर भी निम्नलिखित शब्दों में ध्यान दिलाया, यदि इसे केवल भावी रूप से लागू किया जाता:(रांका और रांका प्रकरण, एस. सी. सी. ऑनलाइन कर कंडिका 37)

"37.एक और विसंगति जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह यह है कि यदि किसी न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की संख्या अधिक है और वह न्यायाधिकरण इन नवीनतम परिपत्रों के बाद अपील का निर्णय करता है, और संबंधित राशि 10 लाख रुपये से कम है, तो ऐसे मामलों में करदाता को नवीनतम परिपत्र का लाभ मिलता है।हालांकि, यदि न्यायाधिकरण ने किसी मामले का शीघ्रता से निर्णय किया है या उन न्यायाधिकरणों में जहां लंबित मामलों की संख्या कम है और राजस्व विभाग द्वारा दायर अपील का विषय-वस्तु 4 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये से कम है, तो उन अपीलों में करदाताओं को नवीनतम परिपत्र का लाभ नहीं

मिलता है।दूसरे शब्दों में, जहां न्यायाधिकरण या न्यायालय में मामलों की भारी संख्या लंबित है और परिपत्र के बाद पहले दायर की गई अपील का निराकरण किया जाता है, तो करदाता को लाभ प्राप्त होता है।हालांकि, जिन न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में मामलों की लंबितता कम है, वहां यदि हाल ही में दायर की गई अपील का निर्णय परिपत्र जारी होने से पहले हो जाता है, या यदि करदाता अपील के शीघ्र निपटान में न्यायालय का सहयोग करता है और अपील का निपटारा परिपत्र जारी होने की तिथि से पहले हो जाता है, तो उसे परिपत्र का लाभ नहीं मिलता है।इसलिए, करदाता को मिलने वाला लाभ निर्णय की तिथि पर निर्भर नहीं होना चाहिए, जिस पर न तो करदाता का और न ही राजस्व विभाग का कोई नियंत्रण है।इस संदर्भ में, यदि परिपत्र को केवल भावी तिथियों के लिए लागू माना जाता है, तो यह भेदभावपूर्ण होगा। इसे पूर्वव्यापी लागू मानकर इस भेदभाव से बचा जा सकता है।यद्यपि परिपत्र/निर्देश संख्या 3, 2011 विभाग द्वारा वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में जारी किया गया है, फिर भी ऐसे परिपत्र/निर्देश जारी करते समय विभाग ने उन उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा है जिनके लिए ये परिपत्र/निर्देश समय–समय पर जारी किए जाते हैं।यदि ऐसे परिपत्रों/निर्देशों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति, 2011, और विभाग द्वारा उन व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को ध्यान में रखा जाए जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है और करों का भुगतान भी नहीं किया है, तो परिपत्र/निर्देश को राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति के अनुरूप बनाने के लिए यह उचित होगा कि ऐसे परिपत्र/निर्देश का लाभ परिपत्र/निर्देश की तिथि को विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लंबित अपील मामलों पर भी लागू होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

***

***

22. हम इस न्यायालय के सुचित्रा कंपोनेंट्स लिमिटेड बनाम सीसीई 13 मामले में परिपत्रों के लागू होने के सामान्य सिद्धांत पर दिए गए निर्णय पर भी ध्यान दे सकते हैं। सीसीई बनाम मैसूर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 मामले में व्यक्त किए गए मत पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि लाभकारी परिपत्र को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए, जबकि दमनकारी परिपत्र को भविष्य में लागू किया जाना चाहिए।"

43. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए** निर्णयों के आलोक में वर्तमान मामलों के तथ्यों पर पुनर्विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि न तो दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र और न ही दिनांक 12.09.2023 के वित्त निर्देश में पूर्वव्यापी प्रभाव का संकेत देने वाली कोई भाषा है।2023 का वित्त निर्देश अपने आप में भावी प्रभाव के लिए है।परिणामस्वरूप, प्रतिवादी दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र को उन कर्मचारियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं कर सकते है जिनकी भर्ती प्रक्रिया पिछली नीति व्यवस्था के तहत शुरू हुई थी, और न ही वे दिनांक

12.09.2023 के परिपत्र पर भरोसा करके बकाया राशि से इनकार कर सकते हैं, जो स्वयं इसके प्रभाव को भविष्य की तिथियों तक सीमित करता है।

44. याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और दिनांक 09.03.2019 के विज्ञापन में प्रचलित शर्तों के आधार पर नियुक्तियाँ स्वीकार कीं, जिसमें स्पष्ट रूप से नियमित वेतनमान और परिवीक्षा अवधि के दौरान भी पूर्ण मूल वेतन का प्रावधान था।याचिकाकर्ताओं का चयन और नियुक्ति इन शर्तों के अनुसार हो जाने के बाद, उन्हें पूर्ण मूल वेतन प्राप्त करने का निहित अधिकार और वैध अपेक्षा प्राप्त हो गई थी। 28.07.2020 के अनुवर्ती परिपत्र ने एक वजीफा प्रणाली लागू की, जिससे मौद्रिक लाभों में कमी आई। इस परिपत्र को याचिकाकर्ताओं पर लागू करना, जिनकी भर्ती प्रक्रिया इसके जारी होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी, उनके निहित अधिकारों का हनन होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

45. 12.09.2023 के वित्त निर्देश, जिसके द्वारा राज्य ने 70%–80%–90% वेतन प्रणाली को समाप्त कर दिया, स्वयं यह स्वीकार करता है कि पूर्ववर्ती नीति में खामियां थीं।तथापि, उक्त निर्देश के खंड 3.1 में, जो वास्तविक मौद्रिक लाभों को भविष्य में लागू होने से प्रतिबंधित करता है और पिछली अवधि के लिए केवल काल्पनिक वेतन निर्धारण प्रदान करता है, पूर्ण वेतन बहाल करने के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है और पूर्व की असमानता को कायम रखता है।जब राज्य ने स्वीकार किया है कि वजीफा प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्ण सेवा प्रदान करने की अवधि के लिए बकाया राशि रोकना पूरी तरह से तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है।इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि विभिन्न जिलों में समान स्थिति वाले कर्मचारियों को पहले ही वेतन संरक्षण और पूर्ण वेतन दिया जा चुका है।इसलिए, दिनांक 12.09.2023 के वित्त निर्देश का खंड 3.1, जहां तक यह वर्तमान याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि से वंचित करता है, मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और न्यायिक जांच में खरा नहीं उतर सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. तदनुसार, यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया गया :

• (i) दिनांक 28.07.2020 का परिपत्र, जिसमें वेतन प्रणाली शुरू की गई है, उन याचिकाकर्ताओं पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जिनकी भर्ती दिनांक 09.03.2019 के विज्ञापन के तहत शुरू हुई थी।

• (ii) दिनांक 12.09.2023 का वित्त निर्देश, जहां तक यह बकाया राशि से इनकार करता है और वित्तीय लाभों को भविष्य में प्रतिबंधित करता है, मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और तदनुसार याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द किया जाता है।

• (iii) याचिका**कर्ता अपने–अपने नियुक्ति तिथियों से, प्रचलित नियमों और वेतनमानों के अनुसार, पूर्ण मूल वेतन के हकदार हैं, साथ ही दिनांक 12.09.2023 के परिपत्र की तिथि तक की मध्यवर्ती अवधि के लिए बकाया राशि और सभी परिणामी लाभ भी प्राप्त करने के हकदार हैं।**

• **(iv)** उत्त**रवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के वेतन को उनकी नियुक्ति तिथियों से पुनः निर्धारित करें, बकाया राशि की गणना करें और उसका भुगतान करें।**

47. उपरोक्त चर्चा के तहत, दिनांक 28.07.2020 का परिपत्र और दिनांक 12.09.2023 का वित्त निर्देश याचिकाकर्ताओं पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ताओं के अधिकार विज्ञापन की तिथि, अर्थात् 09.03.2019 को प्रचलित नियमों के तहत स्पष्ट हो गए थे, और ऐसे अधिकारों को कम करने वाला कोई भी बाद का परिपत्र मनमाना और अस्वीकार्य पूर्वव्यापी वंचन होगा।

48. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया जाता है।याचिकाकर्ताओं को उनकी नियुक्ति की तिथि से पूर्ण मूल वेतन, बकाया वेतन और परिणामी लाभों के साथ, उनके नियमित वेतनमान के अनुसार, बिना किसी वेतन के, दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र द्वारा प्रारंभ की गई वजीफा प्रणाली के अधीन किए जाने के हकदार माना जाता है।

49. **डब्लू.पी.(एस) संख्या 2530/2021 (विजयेंद्र महिलाने और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) और अन्य** संबंधित मामलों में दिया गया निर्णय, जिस पर विद्वान राज्य के वकील ने भरोसा किया है, भिन्न है।उक्त मामलों में, या तो कर्मचारियों ने संबंधित परिपत्र जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण किया था, या परिपत्रों में पूर्वव्यापी प्रभाव का प्रावधान था, या कर्मचारियों का किसी पूर्व स्थायी पद पर कोई आधिपत्य नहीं था। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी परिस्थिति लागू नहीं होती है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

50. इन याचिकाओं में, भर्ती प्रक्रिया दिनांक 09.03.2019 के विज्ञापन द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो दिनांक 28.07.2020 के परिपत्र से काफी पहले का समय है।याचिकाकर्ताओं का अपने पूर्व पदों पर आधिपत्य था और उन्होंने सेवा की निरंतरता को विधिवत बनाए रखते हुए तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत किए। दिनांक 12.09.2023 के वित्त निर्देश में भी स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव का प्रावधान नहीं है, जिससे उन्हें पहले से अर्जित वित्तीय लाभों से वंचित किया जा सके।इसलिए, राज्य द्वारा उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है।

51. तकनीकी इस्तीफे, मौलिक नियम 22–बी(1) के तहत वेतन संरक्षण और सेवा की निरंतरता से संबंधित सिद्धांत, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णा कांत तिवारी (उपरोक्त) और जितेंद्र कुमार (उपरोक्त) मामलों में प्रतिपादित किया है, वर्तमान याचिकाओं के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं। कृष्णा कांत तिवारी (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब कोई कर्मचारी उचित माध्यम से सरकार के अधीन एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित होता है, तो अंतिम प्राप्त वेतन संरक्षण का लाभ उस तिथि से दिया जाना चाहिए जिस तिथि से सरकार की नीति प्रभावी हुई थी, और ऐसा वेतन संरक्षण एक वैधानिक अधिकार है, न कि विवेकाधिकार का मामला।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व पद पर दी गई सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और नियोक्ता का यह कर्तव्य है

कि वह कर्मचारी की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखते हुए सभी परिणामी लाभों के लिए सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करे।

52. इसी प्रकार, जितेंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि जब कोई कर्मचारी उचित माध्यम से किसी नए सरकारी पद के लिए आवेदन करता है और केवल उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उद्देश्य से इस्तीफा देता है, तो इस्तीफे को तकनीकी इस्तीफा माना जाना चाहिए, जो अपने स्वरूप से सेवा की निरंतरता को समाप्त नहीं करता है।न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में, कर्मचारी पूर्व पद पर अपना अधिकार बनाए रखता है और वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण, वेतन वृद्धि, पेंशन लाभ और अन्य सभी सेवा लाभों के लिए अपनी पिछली सेवा को आगे ले जाने का हकदार है।न्यायालय ने तकनीकी इस्तीफे से संबंधित विभाग के कार्यालय ज्ञापनों को स्पष्ट रूप से लागू किया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि एफआर 22–बी(1) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभ बिना किसी अपवाद के दिए जाने चाहिए

53. इन आधिकारिक निर्णयों को वर्तमान मामले पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद तकनीकी इस्तीफे दिए और जिन्हें उसी विभाग में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, अपने पूर्व के मूल पदों पर अपना अधिकार बनाए रखते हैं और कानूनी रूप से सेवा की पूर्ण निरंतरता के हकदार हैं।परिणामस्वरूप, उनके अंतिम प्राप्त वेतन, अर्जित लाभ और वेतनवृद्धि को एफआर 22–बी(1) के तहत अनिवार्य रूप से संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

54. याचिकाकर्ताओं का वेतन संरक्षण, उचित वेतन निर्धारण, नियुक्ति की तिथि से पूर्ण वेतन और परिणामी लाभों का अधिकार न केवल स्थापित सेवा न्यायशास्त्र के अनुरूप है, बल्कि कृष्णकांत तिवारी (उपरोक्त) और जितेंद्र कुमार (उपरोक्त) में प्रतिपादित बाध्यकारी सिद्धांतों द्वारा पूरी तरह से न्यायसंगत और समर्थित भी है।

55. उपरोक्त के तहत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिवेदनों, दस्तावेजों और अभिलेखों पर मौजूद अभिवचनों पर विचार करने के बाद, रिट याचिकाएं संख्या 6436/2021, 1175/2022, 1682/2022, 957/2022, 1878/2022, 2471/2022 और 2656/2022 स्वीकार की जाती हैं।

56. अतः याचिकाकर्ता अपनी–अपनी नियुक्ति की तिथियों से पूर्ण मूल वेतन और उससे संबंधित सभी लाभों के हकदार माने जाते हैं, जिनमें बकाया वेतन, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता शामिल हैं। उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं का वेतन पुनः निर्धारित करें, बकाया वेतन की गणना और भुगतान करें तथा सेवा अभिलेखों में आवश्यक सुधार करें ताकि संरक्षित वेतन और निर्बाध सेवा निरंतरता प्रतिबिंबित हो सके।

57. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

निर्णय सुरक्षित रखने की दिनांक	निर्णय पारित किया जाने कि दिनांक	वह तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है	
		ऑपरेटिव	फूल
18.09.2025	19.11.2025	------	19.11.2025

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेड नोट ---

बाद में जारी किए गए किसी भी परिपत्र या प्रशासनिक निर्देश को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है, जिससे पहले से लागू नियमों या परिपत्रों के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों पर असर पड़े या वे अधिकार समाप्त हो जाएं।ऐसा कोई भी परिपत्र भविष्य में ही प्रभावी होगा, जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न हो और वह विधिक रूप से मान्य न हो।इसलिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए किसी भी बाद के परिपत्र को बीते हुए लेन–देन या पूर्ण हो चुकी घटनाओं पर लागू करना उचित नहीं है, जिससे प्रभावित पक्ष को नुकसान हो।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur